बनाम

3/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं न्यायालय समयावधि तक बार-बार आवाज लगवाने के पश्चात उपस्थित नहीं। अतः वाद वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी के आधार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।